



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ॉक्स - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो0ब0-19/2018- 373 दिनांक :- 02.07.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल / चतरा उत्तरी वन प्रमंडल / चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल / कोडरमा वन प्रमंडल / बोकारो वन प्रमंडल / धनबाद वन प्रमंडल / रामगढ़ वन प्रमंडल / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल रु0 67.838 लाख (सड़सठ लाख तिरासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-** वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-09/2018-16 व0प0 दिनांक-26.07.2018 एवं आवंटन आदेश संख्या-04 / यो0 बजट-25/2020-08 / आ0 व0प0 दिनांक-23.06.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 67.838 लाख (सड़सठ लाख तिरासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060178959010103	62.559
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060178959010323	5.279
कुल :-		67.838

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को सम्मय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060178959010103 तथा 19S24060178959010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्रावक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

**14.** योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

**15.** इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

**16(I).** ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

**(II)** ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

**(III)** अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

**(IV)** Muster roll में अन्य व्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

**(V)** लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

**(VI)** एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

**(VII)** पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

**(VIII)** राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

**(IX)** मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

**(X)** COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

**(XI)** श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी रक्तः जिम्मेवार होंगे।

**17.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से करना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित करना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

विश्वासभाजन,

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—19 / 2018— ३८३ दिनांक— ०२.०७.२०२२  
प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर/  
हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/चतरा/हजारीबाग/बोकारो/  
गिरिडीह/एनवीस सेन्टर, राँची/पी०एम०य००सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—19 / 2018— ३८३ दिनांक— ०२.०७.२०२२  
प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/हजारीबाग/  
चतरा/कोडरमा/बोकारो/धनबाद/रामगढ़/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				5687.19	479.90	6167.09
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	7.00	70.00	3.981	0.336	4.317
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	10.00	100.00	5.687	0.480	6.167
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	8.00	80.00	4.550	0.384	4.934
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	8.00	80.00	4.550	0.384	4.934
5	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	8.00	80.00	4.550	0.384	4.934
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	8.00	80.00	4.550	0.384	4.934
7	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	8.00	80.00	4.550	0.384	4.934
8	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	10.00	100.00	5.687	0.480	6.167
9	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	15.00	150.00	8.530	0.719	9.249
10	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	8.00	80.00	4.550	0.384	4.934
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	10.00	100.00	5.687	0.480	6.167
12	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	10.00	100.00	5.687	0.480	6.167
योग :-		110.00	1100.00	62.559	5,279	67.838

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

## नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300
पौधों की दूरी	2mx3m
1 यूनिट का परिमाप	2000 m <sup>2</sup>
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	326.85 रुपये

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A विचीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 326.85						
1	एक कोडनी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1372.77		1372.77
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	3922.20		3922.20
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	392.22	275.00	667.22
	कुल:-		17.4	5687.19	479.90	6167.09

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

वार्ता वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या :- 01/YB-19/2018/373

दिलाक -

02-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आर्बटि राशि
1	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33777	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	398,100.00 रुपये तीन लाख अठानवे हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	
2	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33778	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	568,700.00 रुपये पाँच लाख अडसठ हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	
3	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33779	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST	455,000.00 रुपये चार लाख पचपन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	

योग

कुपये चौदह लाख दसवीस हजार अर्थ सौ

कुम्हिका सोडा-

1,421,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178959010103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	33780	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	455,000.00 रुपये चार लाख पचपन हजार
5	S 19 24060178959010103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	33781	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	455,000.00 रुपये चार लाख पचपन हजार
6	S 19 24060178959010103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	33782	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O, SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	455,000.00 रुपये चार लाख पचपन हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग:	रुपये सत्ताइस लाख छियासी हजार आठ सौ			1,365,000.00
क्रमिक योग:				2,786,800.00
(NAND KISHORE SINGH) ADDI PCCE DEV JHARKHAND RANCH				

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - देतन एवं भर्ते	33783	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	455,000.00 रुपये चार लाख पचपन हजार
8	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - देतन एवं भर्ते	33784	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	568,700.00 रुपये पाँच लाख अडसठ हजार साल सौ
9	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - देतन एवं भर्ते	33785	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	853,000.00 रुपये आठ लाख तीरपन हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः		रुपये छ्यालीस लाख तीरसठ हजार पाँच रुपौ ADDL PCCE DEV.IHARKHAND	(NAND KISHORE SINGH)	1,876,700.00 4,663,500.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33786	HZBFOR001  DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	रुपये चार लाख पचपन हजार 
11	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33787	GRDFOR001  PRAWESH AGRAWAL  DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	रुपये पाँच लाख अडसठ हजार 
12	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33788	GRDFOR003  SHABA ALAM ANSARI  D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	रुपये पाँच लाख अडसठ हजार 
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		

योगः

रुपये बासठ लाख पचपन हजार नौ सौ

1,592,400.00

क्रमिक योगः

6,255,900.00

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL. PCCF/DEV JHARKHAND


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आर्वटिस राशि
13	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33789	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	33,600.00 रुपये तैतीस हजार छ: सौ
14	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33790	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	48,000.00 रुपये अड़तालीस हजार
15	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33791	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST	38,400.00 रुपये अड़तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

योग:

रुपये तीरसठ लाख पचहत्तर हजार नौ सौ

120,000.00

क्रमिक योग:

  
(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL PCCE DEV JHARKHAND

6,375,900.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33792	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अडलीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33793	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अडलीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33794	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अडलीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये चौसठ लाख इनकानवे हजार एक सौ			115,200.00
क्रमिक योग:				6,491,100.00
		(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND		

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33795	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अड्डतीस हजार चार सौ
20	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33796	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,000.00 रुपये अड्डतालीस हजार
21	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33797	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,900.00 रुपये इकहत्तर हजार नौ सौ
<hr/>				
योग:	रुपये छाप्ट लाख उनचास हजार चार सौ			158,300.00
क्रमिक योग:				6,649,400.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33798	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	38,400.00 रुपये अडतीस हजार चार सौ
23	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33799	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
24	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33800	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः				
रुपये सड़सठ लाख तिरयासी हजार आठ सौ				
(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCF DEV JHARKHAND				
134,400.00				
6,783,800.00				